

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

Rajasthan Staff Selection Board

Agriculture Campus, Durgapura, Jaipur, Rajasthan, 302018



<https://rsmssb.rajasthan.gov.in>

secyrsmsb@rajasthan.gov.in

<https://rssb.rajasthan.gov.in>

+91-141-2722520

क्रमांक:-प.14(84)RSSB/अर्थना/वन वि०/सीधी भर्ती/2020/पार्ट-3/

दिनांक:-यथा हस्ताक्षर_

कार्यालय आदेश ::-

वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा-2020

बोर्ड द्वारा वन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत वनपाल के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 100 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 48 कुल 148 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड द्वारा दिनांक 11.11.2020 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 11.03.2022 व 21.12.2022 को विज्ञप्ति जारी की गई थी। बोर्ड द्वारा दिनांक 13.04.2023 को परिणाम जारी कर 02 गुणा अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच हेतु सूचीबद्ध किया गया था। बोर्ड द्वारा पात्रता की जांच के पश्चात पात्र पाये गये अभ्यर्थियों में से श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर आज दिनांक तक गैर अनुसूचित क्षेत्र में 98 एवं अनुसूचित क्षेत्र में 48 कुल 146 अभ्यर्थियों का अंतिम से रूप चयन किया जा चुका है।

वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा-2020 में अभ्यर्थी तेजसिंह चुण्डावत के द्वारा ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एसबी सिविल रिट याचिका सं० 2822/2024 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2024 की पालना में अभ्यर्थी तेजसिंह चुण्डावत रोल नं० 451349 का गैर अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य (भूतपूर्व सैनिक) श्रेणी में वरीयता के आधार पर अंतिम चयन किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से चयनित उक्त अभ्यर्थी की अनुशंसा कर वन विभाग, जयपुर को अभिस्तावित की जा रही है।

नोट:-उक्त भर्ती परीक्षा में कट-ऑफ मार्क्स बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी परीक्षा परिणाम के अनुसार यथावत रहेंगे।

(डॉ. बी. सी. बघाल)

सचिव

क्रमांक: प.14(84)RSSB/अर्थना/वन वि०/सीधी भर्ती/2020/पार्ट-3/

दिनांक:-यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. अनुभाग को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करें।

सचिव

